

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-101) अलेसे-1/807

दिनांक:- 27/11/18

कार्यालय आदेश

श्री लोकेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I (लिनक न.4493), जो कि कार्यालय निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर में कार्यरत है, जिनका वेतन भुगतान परियोजना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, ईजीएस, राजस्थान रोजगार गारण्टी परिषद्, जयपुर के द्वारा किया जाता है तथा उक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन परिलाभों से संबंधित "बजट मद-2071" के परिचालन हेतु अधिकृत नहीं होने के कारण इनके पेंशन प्रकरण एवं देय पेंशन परिलाभों का भुगतान कोष कार्यालय, जयपुर (सचिवालय) से करने के लिए कोषाधिकारी, जयपुर (सचिवालय) को अधिकृत किया जाता है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-101) अलेसे-1/807

दिनांक:- 27/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (सचिवालय)।
4. श्री लोकेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)